

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 389 / 14

संस्थापन दिनांक:-27 / 06 / 14

फाईलिंग नं. 233504002572014

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रु द्ध**

1. सुनील पिता भैय्यालाल राठौर, उम्र 36 वर्ष
2. रेखाबाई पति सुनील राठौर, उम्र 32 वर्ष  
 दोनों निवासी इतवारी चौक आमला,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 04.05.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.06.2014 को शाम 07:45 बजे प्रार्थी के घर के सामने वार्ड क. 2 आमला थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत फरियादी संजय को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजय राठौर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 08.06.2014 को सुबह 07:45 बजे पेस्ट लेने दुकान जा रहा था तभी अभियुक्त सुनील ने उसे मां बहन की गालियां दी। उसके द्वारा अभियुक्त सुनील को गाली देने से मना करने पर अभियुक्त ने उसके साथ हाथ थप्पड़ से मारपीट की तथा उसकी भाभी अभियुक्त रेखा ने आकर उसके साथ मारपीट कर उसे जमीन पर गिरा दिया। अभियुक्त सुनील ने उसकी छाती पर बैठकर उसे मारा तथा अभियुक्त रेखा ने उसकी बांयी भुजा में दांत से काट दिया। अभियुक्तगण ने उसे रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना आमला में अपराध क. 412/14 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया, मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा बनाया गया। विवेचना

पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी एवं आहत का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324/34 भा०द०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका कं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने घटना, दिनांक व स्थान पर फरियादी संजय को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की ?

2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

#### विचारणीय प्रश्न क. 01 का निराकरण

6 संजय (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त सुनील ने उसे हाथ से गाल पर मारा, फिर इसके बाद अभियुक्त रेखा आयी और उसने उसे पीछे से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और सीधे हाथ की अंगुली और कोहनी के पास काट दिया। अभियुक्त सुनील ने दाहिने हाथ के कंधे में पीछे से काटा। सागर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि अभियुक्त रेखा ने फरियादी संजय के सीधे हाथ में बीच में दांतों से काटा था।

7 डॉ. एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने उसके न्यायालयीन कथनों में प्रकट किया है कि उसने दिनांक 08.06.2014 को सीएचसी आमला में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए आहत संजय का परीक्षण किया था जिसमें आहत की छाती, पेट, पीठ पर 2 गुणा 1, 1 गुणा आधा, 2 गुणा 1, 3 गुणा 1, 1 गुणा आधा सेमी. आकार के खरोच के निशान एवं बांये पैर पर 2

गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच, तथा बांयी भुजा पर 2 गुणा 1 सेमी. आकार की खरोच के निशान पाये थे। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि चोट क्र. 1 व 2 कड़े एवं बोथरे हथियार से पहुंचाई गयी थी तथा चोट क्र. 3 दांत के काटने से आना संभव थी। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट (प्रदर्श प्री-5) को प्रमाणित भी किया है।

8 गोविंदराव कोलेकर (अ.सा.-5) ने अपने न्यायालयीन कथन दिनांक 08.06.2014 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को अपराध क्र. 412/14 की केस डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर मौका नक्शा (प्रदर्श प्री-3) तथा दिनांक 09.06.2014 को अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6 एवं प्रदर्श पी-7 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना बताते हुए उक्त दस्तावेजों को प्रमाणित भी किया है।

9 बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन साक्षीगण के कथनों में विसंगति है तथा अभियोजन कथा के अनुरूप साक्षीगण ने कथन भी नहीं किये हैं जिससे अभियोजन कथा में संदेह उत्पन्न होता है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित होगा। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

10 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में सुमित (अ.सा.-1) ने अभियोजन का किंचित मात्र समर्थन नहीं किया है। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन के समर्थन में साक्षी ने कोई भी तथ्य प्रकट नहीं किये हैं। अतः उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन को कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है।

11 संजय (अ.सा.-3) ने न्यायालयीन परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके घर के बाहर की सुबह 07:30 बजे की है। घटना के समय सुबह वह पेस्ट लेने के लिए जा रहा था तभी अभियुक्त सुनील ने उसे हाथ से गाल पर मारा फिर अभियुक्त रेखा आयी उसने उसे पीछे से पकड़कर गिरा दिया फिर उसकी छाती पर बैठ गयी अभियुक्त रेखा ने उसके सीधे हाथ की अंगुली में एवं बीच में कोहनी के पास काट दिया तथा अभियुक्त सुनील ने उसे दाहिने हाथ के कंधे में पीछे से काटा था। उपर्युक्त साक्षी से अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि घटना पुरानी होने से उसे याद नहीं है कि अभियुक्त ने उसके बांये हाथ की भुजा पर दांत से काटा था या नहीं। सागर राठौर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि घटना उसके चाचा संजय के घर के सामने की सुबह 09:30 बजे की है। अभियुक्त रेखा फरियादी संजय की छाती पर बैठ

गयी थी और उनके सीधे हाथ में बीच में दांतों से काट दिया था।

12 संजय (अ.सा.-3) ने प्रतिपरीक्षण में यह गलत होना बताया है कि उसने लड़ाई झगड़े में अभियुक्त सुनील का हाथ तोड़ दिया था परंतु यह सही होना बताया है कि उसके विरुद्ध धारा 325 भा.दं.सं. का मामला चल रहा है। साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त सुनील ने उसकी रिपोर्ट पहले की थी। स्वतः कहा कि उसने पहले रिपोर्ट की थी। प्रतिपरीक्षण के पैरा क्र. 08 में साक्षी ने यह बताया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय यह बता दिया था कि अभियुक्त रेखाबाई ने उसके दाहिने हाथ की भुजा एवं उसी हाथ की अंगुली के उपर दांत से काट दिया था और साक्षी ने यह भी बताया है कि यदि बांये हाथ में दांत से काटने वाली बात उसने लेख करायी हो तो वह उसका कारण नहीं बता सकता। पुनः से साक्षी से न्यायालय द्वारा यह पूछे जाने पर कि अभियुक्त ने किस हाथ में काटा था तो साक्षी का कहना है कि दाहिने हाथ में काटा था।

13 सागर (अ.सा.-2) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि घटना दिनांक को उसके चाचा संजय टूथपेस्ट लेने जा रहे थे तो खेतीबाड़ी की पुरानी रंजिश को लेकर अभियुक्तगण ने मारपीट की थी। पैरा क्र. 04 में साक्षी ने यह सही होना बताया है कि उक्त घटना के पहले उसके पिता अनिल के विरुद्ध अभियुक्तगण ने रिपोर्ट लेख करायी थी। स्वतः में साक्षी का कहना है कि अभियुक्त सुनील ने झूठी रिपोर्ट लेख करायी थी।

14 अभियोजन कथा अनुसार अभियुक्त सुनील एवं रेखाबाई के द्वारा फरियादी की हाथ मुक्के से मारपीट की गयी। फिर अभियुक्त सुनील फरियादी की छाती पर बैठ गया और अभियुक्त रेखा ने उसके बांये हाथ की भुजा पर दांत से काट दिया था। साक्षी संजय (अ.सा.-3) एवं सागर (अ.सा.-2) ने न्यायालयीन परीक्षण में अभियोजन कथा से हटकर न्यायालय में कथन किये हैं। उपर्युक्त दोनों साक्षियों के कथनों में पर्याप्त विसंगति है। आहत/फरियादी संजय (अ.सा.-3) ने अभियुक्त रेखा के द्वारा सीधे हाथ की अंगुली में एवं अभियुक्त सुनील के द्वारा दाहिने हाथ के कंधे में काटा जाना बताया है। जबकि साक्षी के चिकित्सकीय परीक्षण रिपोर्ट में बांयी भुजा पर चोट पायी गयी जिसके संबंध में डॉक्टर साक्षी एन.के. रोहित (अ.सा.-4) ने अपने अभिमत में यह प्रकट किया है कि उपर्युक्त चोट दांत के काटने से आना संभव थी। स्पष्टतः निश्चायक रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि आहत की बांयी भुजा पर जो चोट थी वह दांत के काटने से ही आयी थी। साथ ही स्वयं आहत संजय ने यह बताया है कि उसे अभियुक्त रेखाबाई के द्वारा दाहिने हाथ पर काटा गया था। साथ ही साक्षी ने अभियुक्त सुनील के द्वारा भी दाहिने कंधे पर काटना बताया है परंतु दाहिने कंधे पर भी आहत के चिकित्सकीय परीक्षण में

कोई चोट नहीं पायी गयी है। इस प्रकार साक्षी संजय की साक्ष्य चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित नहीं है। साथ ही साक्षी ने अभियोजन कथा के अनुरूप भी न्यायालय में कथन नहीं किये हैं जिससे कि अभियोजन के मामले में संदेह की स्थिति निर्मित होती है जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना उचित प्रतीत होता है। फलतः यह प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्तगण ने फरियादी को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजय राठौर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की।

### **विचारणीय प्रश्न क. 02 का निराकरण**

15 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी संजय को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया और उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी संजय राठौर को हाथ थप्पड़ से मारपीट कर तथा दांत से काटकर स्वेच्छया उपहति कारित की। फलतः अभियुक्तगण सुनील एवं रेखाबाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

16 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

17 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)